पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-19 बुधवार, दिनांक-08 अप्रील, 2015 ई० ।

मानकीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.30 बजे पूर्वाह्न तक ।

[1] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

मा० प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा पंचदश बिहार विधान सभा के द्वितीय, चतुर्थ, पंचम्, षष्ठम्, सप्तम् एवं अष्टम् सत्रों के अनागत अल्पसूचित, तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तरों (कुल- 527) की मुद्रित प्रतियां सदन पटल पर रखा गया ।

[2] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

उत्तर से असंतुष्ट होकर भाजपा के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये । अल्पसूचित प्रश्न का समय समाप्त होने के पश्चात् आसन से यह कहा गया कि विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर जायें एवं कार्य संचालन नियमावली में आधे घंटे का विमर्श नियम-94 में है उसके आलोक में आप विधिवत् सूचना दे सकते हैं । इस तरह से प्रश्नकाल को बाधित करना संसदीय परम्परा के अनुकूल नहीं है । आसन द्वारा पुनः भाजपा के माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी सीट पर जाने का अनुरोध किया गया किन्तु भाजपा के माननीय सदस्यगण वेल में ही शोरगुल करते रहे जिसके कारण सभा की कार्यवाही 2.00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई तथा तारांकित प्रश्न सहित अन्य सूचीबद्ध कार्य नहीं हो सकी ।

भोजनावकाश के बाद

समय 2.00 बजे अप० से 5.10 बजे अप० तक ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[3] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों (नगर विकास एवं आवास विभाग, विधि विभाग तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग) पर वाद-विवाद एवं मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

मा० सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान की माँग पर विचार विमर्श हेतु कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा उन्होंने कहा कि उनके बदले मा० सदस्य श्री संजय सरावगी बोलेंगे ।

वाद-विवाद में निम्नांकित मा० सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री संजय सरावगी
(ii) श्री डा० अरूण कुमार
(iii) श्री अख्तरूल इस्लाम शाहिन
(iv) श्री नितिन नवीन
(v) श्री प्रदीप कुमार
(vi) श्रीमती रश्मि वर्मा
(vii) डा० दाउद अली
(viii) श्री आलोक रंजन
(ix) श्री रत्नेश सादा

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(x) श्री आफाक आलम
(xi) श्रीमती ज्योति रश्मि
(xii) श्री प्रमोद कुमार
(xiii) श्री नन्द किशोर यादव, नेता, विरोधी दल
(xiv) श्री दिनेश कुमार सिंह
(xv) श्री अब्दुल गफूर

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा द्वारा सरकार की ओर से वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

(इस दौरान सदन की सहमति से आज की कार्यवाही समाप्त होने तक सदन की अवधि का विस्तार किया गया)

''माननीय प्रभारी मंत्री के उत्तर के दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वाद-विवाद के दौरान नेता, विरोधी दल द्वारा उठाए गए कतिपय बिन्दुओं पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गयी ।''

तत्पश्चात् माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद का कटौती प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का मूल प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[4] कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन :-

माननीय नेता, विरोधी दल द्वारा आज दिनांक 08.04.2015 को संपन्न हुई कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को सदन पटल पर रखा गया जिसमें निम्न दो बिन्दुओं की अनुशंसा की गई :-

(i) सदन नियम, प्रक्रिया के तहत् सुचारू रूप से चले, जिसमें सभी मा० सदस्य सहयोग करें ;
(ii) सोमवार दिनांक-20 अप्रील, 2015 को राजकीय विधेयक के व्यवस्थापन के बाद सभा नियम-43 के तहत् प्राप्त सूचना ''राज्य में धान क्रय में हो रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर'' विमर्श हो ;

सदन ने सर्वसम्मति से कार्यमंत्रणा समिति की अनुशंसाओं पर सहमति दी ।

[5] सरकारी वक्तव्य :-

मा० प्रभारी मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बहादुरपुर, पटना में हुए विस्फोट की घटना पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया ।

[6] निवेदन :-

आसन द्वारा घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल-15 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक- 09 अप्रील, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-08 अप्रील, 2015

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।